न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2021-143Jodhpur225RTA2021-70 Smt. Maina etc Vs Samudevi etc

---

01. श्रीमती मैना पत्नी श्री जुगलकिशोर, जाति ब्राहमण, निवासी- नांदिया जाजड़ा तहसील बावड़ी, हाल निवासी- चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
02. अजय पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति ब्राहमण, निवासी- नांदिया जाजड़ा तहसील बावड़ी, हाल निवासी- चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
03. ममता पुत्री श्री जुगलकिशोर जाति ब्राहमण, निवासी- नांदिया जाजड़ा तहसील बावड़ी, हाल निवासी- चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
04. अनुसूया पुत्री श्री जुगलकिशोर जाति ब्राहमण, निवासी- नांदिया जाजड़ा तहसील बावड़ी, हाल निवासी- चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

..... अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. श्रीमती समुदेवी पत्नी श्री मदनलाल जाति माली, निवासी- गंगाणी, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बावड़ी दिनांक 12 फरवरी 2021 राजस्व प्रकरण संख्या 168/2020 समुदेवी बनाम श्रीमती मैनादेवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित --

श्री रोशन लाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सुनिल कच्छवाह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 12 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, बावड़ी द्वारा पारित राजस्व प्रकरण संख्या 168/2020 अनवान समुदेवी बनाम श्रीमती मैनादेवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 फरवरी 2021 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 16 अप्रैल 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नांदिया जाजड़ा तहसील बावड़ी के खसरा नं. 43/2 रकबा 21 बीघा आई हुई है। नांदिया जाजड़ा के सार्वजनिक रास्ते की भूमि खसरा संख्या 43/9 व 43/10 स्थित है। मौके पर रास्ता चल रहा है, जिस तक पहुंचने हेतु खसरा नं. 43/3 में सें होकर जाना पड़ता है। खसरा नं. 43/3 अपीलार्थी संख्या एक के पति व अन्य अपीलार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया हुआ है, इनकी भूमि में सें ही रास्ता चलता है। प्रत्यर्थी संख्या एक के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, प्रत्यर्थी संख्या एक ने पूर्व में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो खारिज कर दिया गया था, क्योंकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उस वक्त तरमीम नहीं की हुई थी। तरमीम किए जाने के पश्चात अब उसे रास्ते की आवश्यकता है तथा नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी जगह पर 30 फीट रास्ते की घोषणा किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण के पति व पिता जुगल किशोर को पक्षकार बनाया गया, जिसके सम्मन जारी किए गए, सम्मन पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आसामी 6 वर्ष से गुमशुदा है, इसलिए नोटिस अदम तामील होकर वापस पत्रावली में लौट आया, जिसकी तामील की कार्यवाही पूर्ण किए बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए एकतरफा आदेश पारित किया जाकर नजरी नक्शें में दर्शाए अनुसार ए से बी स्थान पर 30 फीट चौड़ा रास्ता किए जाने का आदेश दिनांक 12.04.2019 को पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जो अपील दिनांक 13.03.2020 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिपेषित की गई तथा निर्देश दिया गया कि दिनांक 20.03.2020 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करे, जिस पर अपीलार्थीगण दिनांक 20.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन पत्रावली न्यायालय में पहुंच नहीं पाई थी तथा कहा गया कि पत्रावली आने पर आपको सूचित कर दिया जायेगा। दिनांक 20.03.2020 से लॉकडाउन लागू हो जाने पर लंबे समय तक पत्रावली के बारे में पता नहीं किया जा सका, इसी बीच दिनांक 10.11.2020 को पत्रावली पेशी पर ली गई तथा पूर्व सम्मन तामील नहीं बताते हुए दैनिक समाचार पत्र में नोटिस छाया प्रति करवाई गई, जो दैनिक नवज्योति में प्रकाशित किए गए तथा अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाये बगैर ही पत्रावली का दिनांक 12 फरवरी 2021 को निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए खसरा नं. 43/3 में सें रास्ता पूर्व रिपोर्ट के अनुसार दिये जाने का आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की तामील माने जाने में भारी भूल की है तथा नोटिस अदम तामील होने के बावजूद भी तामील ऑर्डर शीट लिखे बिना ही सीधे ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जो विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है, इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। हितबद्ध पक्षकारों को नही सुने जाने के कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगाते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है, जबकि मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जो मौके के अनुसार तैयार नहीं की जाने के कारण पढे जाने योग्य नहीं है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नही की गई होने के कारण भी पढे जाने योग्य नहीं है। मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार होने के कारण तथा मौके की स्थिति के विपरीत तैयार होने के कारण मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के तथ्य की जांच किये बिना ही प्रस्तुत की गई है, जो माने जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण दिनांक 20.03.2020 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन पत्रावली न्यायालय में पहुंच नहीं पाई थी तथा कहा गया कि दिनांक 21.03.2020 से लॉकडाउन लागू हो जाने पर लंबे समय तक पत्रावली के बारे में पता नहीं किया जा सका, इसी बीच दिनांक 10.11.2020 को पत्रावली पेश पर ली गई तथा पूर्व सम्मन तामील नहीं बताते हुए दैनिक समाचार पत्र में नोटिस छाया प्रति करवाई गई। हितबद्ध पक्षों को सुने बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया होने के कारण आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2021 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाकर उभय पक्ष को दिनांक 20.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था, फिर भी अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में रेस्पोडेंट संख्या एक के खर्चे पर साया करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना में दैनिक नवज्योति समाचार पर में अपीलांट के सम्मन प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद भी अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2019 में दर्शित रास्ता ए से बी गलत होने के बारे मे अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जाहिर नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा पूर्व अपील के अलावा अन्य कोई नया आधार नहीं लिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत खसरा नं. 43/2 में आवागमन हेतु अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 01.03.2019 के आधार पर निकटतम एवं लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251-ए को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2019 को स्वीकार किये जाने के विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये तथा **उभय पक्ष को दिनांक 20.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निदेर्शित किया गया।** कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते दिनांक 21.03.2020 से राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन घोषित हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली समय पर नही पंहुच पायी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक **06.11.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलांट्स के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 18.12.2020 को अपीलांट्स के सम्मन प्रत्यर्थी संख्या एक के खर्चे पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश पारित किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 08.01.2021 नियत की गई। प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलांट्स के सम्मन दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति (जो स्थानीय स्तर पर भी सर्कुलेट होता है) के दिनांक 24 दिसंबर 2020 के अंक में प्रकाशन करवाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। सूचना प्रकाशन के लगभग एक पखवाड़े बाद दिनांक 08.01.2021 को अपीलांट्स बावजूद सूचना के भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट्स के इंतजार हेतु अवसर प्रदान किया जाकर आगामी तारीख 22.01.2021 नियत की गई। इसके बावजूद भी अपीलांट्स के विचारण न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण **दिनांक 22.01.2021 होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक की बहस सुनकर दिनांक 12.02.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।**

पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 01.03.2019 के मुताबिक प्रत्यर्थी संख्या एक के खेत खसरा नं. 43/2 से गैर मुमकिन सड़क तक आवागमन खसरा नं. 43/9 एवं 43/10 मे सें नजरी नक्शे में दर्शित बिंदु **मार्क ए से बी लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया जाता है।** मौका फर्द अनुसार अपीलाधीन आदेश से प्रदत रास्ते के **अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं दर्शाया गया है।** चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट चौड़ा का रास्ता प्रदान किया गया, जिससे भूमि का अधिक रकबा व्यर्थ होगा। **काश्तकार के आवागमन हेतु 20 फीट का रास्ता पर्याप्त है।** ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को संशोधित किया जाकर रास्ते की चौड़ाई 20 फीट किया जाना अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 फरवरी 2021 में प्रदत **रास्ते की चौड़ाई 30 फीट के बजाय 20 फीट किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार बावड़ी को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते के रूप में काम में आने वाली भूमि का रकबा 4 बिस्वा 11 बिस्वांशी खसरा न. 43/3 (ग्राम नांदिया जाजड़ा)में सें कम किया जाकर असिंचित भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि प्रतिकर रूप में निर्धारित कर बाद <u>रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण</u> द्वारा जमा कराने के राजस्व रेकर्ड में राज्य हित में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर तरमीम अंकित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर